

आदेश फलक

देखे अभिलेख हस्तक 1949 का नियम 129

आदेश पत्रक ता०.....से.....तक

जिला **RM Appeal** सं०.....**05**.....सन् 2021-22

केस का प्रकार.....

<p>आदेश की क्रम सं० और तारीख 1.</p>	<p>आदेश ओर पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2.</p>	<p>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ 3.</p>
<p>27.08.2021</p>	<p>यह रे०मि० अपील वाद अंचल अधिकारी, जामा के अतिक्रमण वाद सं०-03/2021-22 में पारित आदेश दिनांक-03.08.2021 के विरुद्ध में दायर किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना। वाद को Admit किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख की मांग करें। उत्तरकारी को नोटिस निर्गत करें। निम्न न्यायालय के आदेश को दिनांक-03.09.2021 तक स्थगित रखा जाता है। इसे दिनांक-03.09.21 को रखें। लेखापित एवं संशोधित।</p> <p><i>[Signature]</i> उपायुक्त, दुमका।</p> <p><i>[Signature]</i> उपायुक्त, दुमका।</p>	<p><i>19/09/21 dt 31/8/21</i></p>
<p>03.09.2021</p>	<p>अपीलकर्ता की उपस्थिति है। उत्तरकारी की उपस्थिति है। निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं नोटिस का तामिला प्राप्त है। <i>Here the learned advocates of both the parties. Here the learned J.P. reviewed the records of the case. It is established that the land in question is a public land. There is no evidence on record to establish that the structure and map of the appellant's are separate</i></p>	

The claim of the appellant with respect to
proprietary ownership or possession of the structure
in question could not be justified.

Taking into account the
facts of the case and the submission of the
learned C.P. that encroachment of public
land can't be condoned, the appeal is rejected.
The Circle Officer shall proceed in the matter as
per law.

h
31/5/17